

# सराहनीय कार्य जनपद बस्ती

दिनांक- 09.04.2024

स्वाट टीम बस्ती व थाना सोनहा पुलिस टीम की संयुक्त प्रयास द्वारा संगठित रूप से चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय 03 अभियुक्तों को चोरी के नगदी, हेक्सा ब्लेड, जैक राड, पेचकश तथा तमंचा 12 बोर व जिंदा कारतूस 12 बोर एवं घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन व एन्ड्राइड मोबाईल के साथ किया गया गिरफ्तार-

स्वाट टीम बस्ती व थाना सोनहा पुलिस टीम की संयुक्त प्रयास द्वारा संगठित रूप से चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय 03 अभियुक्तों को 1. कृष्ण मोहन साहनी पुत्र श्रीराम साहनी निवासी मथुरानगर थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर 2. विजय चौहान पुत्र विरेन्द्र चौहान निवासी बेलसड़ थाना ब्रिजमनगंज जनपद महाराजगंज, 3. साजन गौड़ पुत्र संतराम गौड़ निवासी खेजुरिया थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर को चोरी हुए 14500 रुपये व एक अदद हेक्सा ब्लेड, एक अदद जैक राड, एक अदद पेचकश व एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर एवं घटना में प्रयुक्त एक चार पहिया वाहन, 03 अदद एन्ड्राइड मोबाईल सम्बन्धित मु0अ0सं0 45/2024 धारा 457, 380, 411 भा0द0वि0 तथा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सोनहा जनपद बस्ती में नरखोरिया रामनगर पुलिस से दिनांक 08.04.2024 समय करीब 03.20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। दौरान बरामदगी व गिरफ्तारी राष्ट्रीय मानवाधिकार

आयोग व माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय बस्ती रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. कृष्ण मोहन साहनी पुत्र श्रीराम साहनी निवासी मथुरानगर थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।
2. विजय चौहान पुत्र विरेन्द्र चौहान निवासी बेलसड़ थाना ब्रिजमनगंज जनपद महाराजगंज।
3. साजन गौड़ पुत्र संतराम गौड़ निवासी खेजुरिया थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।

बरामदगी का विवरण:-

1. 14500 रुपये
2. एक अदद हेक्सा ब्लेड,
3. एक अदद जैक राड,
4. एक अदद पेचकश
5. एक अदद तमंचा 12 बोर
6. एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर
7. घटना में प्रयुक्त एक चार पहिया वाहन,
8. 03 अदद एन्ड्राइड मोबाईल

आपराधिक इतिहास:-

अभियुक्त कृष्ण मोहन साहनी पुत्र श्रीराम साहनी उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 45/2024 धारा 457, 380, 411 भा0द0वि0 थाना सोनहा, बस्ती।

अभियुक्त विजय चौहान पुत्र विरेन्द्र चौहान उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 45/2024 धारा 457, 380, 411 भा0द0वि0 थाना सोनहा, बस्ती।
2. मु0अ0सं0 85/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सोनहा, बस्ती।

अभियुक्त साजन गौड़ पुत्र संतराम गौड़ उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 45/2024 धारा 457, 380, 411 भा0द0वि0 थाना सोनहा, बस्ती।

घटना का सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 10.03.2024 की रात्रि को ग्राम मलपुरवा भारत पेट्रोल पंप के आफिस में रखी आलमारी को तोड़कर 104518 रुपया अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में वादी मुकदमा के तहरीरी सूचना के आधार थाना सोनहा पर मु0अ0सं0 45/2024 धारा 457/380 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 तारकेश्वर यादव थाना सोनहा, बस्ती को दी गयी थी। उसी के क्रम में तमामी साक्ष्य संकलन व मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की गयी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्र0नि0 सोनहा उपेन्द्र कुमार मिश्रा, जनपद बस्ती।
2. प्रभारी स्वाट टीम उ0नि0 उमाशंकर त्रिपाठी स्वाट टीम बस्ती।
3. प्रभारी सर्विसलांस सेल उ0नि0 शशिकान्त जनपद बस्ती।
4. उ0नि0 तारकेश्वर यादव, उ0नि0 राजनाथ प्रसाद, उ0नि0 जयशंकर पाण्डेय थाना सोनहा, जनपद बस्ती।
5. हे0का0 रमेश चौहान, हे0का0 पवन तिवारी, हे0का0 अवनीश सिंह, का0 किशन सिंह, का0 अभिलाष सिंह, का0 शुभेन्द्र तिवारी स्वाट टीम बस्ती।
6. हे0का0 ओमप्रकाश चौरसिया, का0 राजेंसी वर्मा थाना सोनहा, जनपद बस्ती।

